भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 96 सेक (ई)डी ए आर-1/1पोल | नई दिल्ली, दि 25-6-97

स्थायी आदेश सं. 28

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब. सब रेलें
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.वि.ब., रेलवे बोर्ड

विषय : पुनरीक्षण याचिका के निपटान के बाद कर्मचारियों द्वारा अनुशासन मामलों में अपील की अग्राह्यता।

यह देखा गया है कि बहुत से डी ए आर मामलों में पुनरीक्षण याचिका के निपटान के बाद भी कर्मचारी आगे अपीलें प्रस्तुत कर रहे है। शायद आर पी एफ नियम, 1997 के अध्याय XIII में अन्तर्विष्ट अपील और पुनर्विलोकन से संबंधित अपबन्ध की जानकारी न होने के कारण ऐसा किया जा रहा है।

2. इस बात को दोहराया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षा याचिका के निपटान के बाद आगे अपील (दया याचिका सहित) के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भविष्य में ऐसी अपीलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. अपील और पुनरीक्षण से संबंधित ऊपर बताए उपबन्धों की जानकारी सब कर्मचारियों, को, इस स्थायी आदेश को अपने कार्य क्षेत्र की चौकियों/सीमा चौकियों के स्तर तक परिपत्रित करके दी जाए।

ए.पी. दुराय
महानिदेशक/रे.सु.ब.